

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्योंहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ0नि0 विनोद कुमार सिंह द्वारा एक नफर वारंटी अभियुक्त कालीचरन सोनी पुत्र राधाचरन सोनी उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा को सम्बन्धित माननीय न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद बांदा के न्यायालय द्वारा जारी **NBW** व 83 सीआरपीसी कुर्की आदेश व पत्रांक संख्या 169/18.03.2024 **SJM** 1 बांदा वारंटी अभियुक्त उपरोक्त की अपील संख्या 18/2019 कालीचरन सोनी पुत्र राधाचरन सोनी की दाण्डिक अपील माननीय अपर सत्र न्यायालय / पाक्सो एक्ट बांदा द्वारा निरस्त कर दी गयी है तथा अवर न्यायालय का आदेश जो की अभियुक्त कालीचरन के बिरुद्ध दोष सिद्ध करते हुये 01 वर्ष का कठोर कारावास तथा 09 लाख रुपये से दण्डित किया गया है , को अभियुक्त को गौरहारी से भटेवरा जाने वाले टोलाहार सड़क पुलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद बांदा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह 2. का.कुलदीप सिंह 3. का.पवन कुमार थाना चरखारी जिला महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-


कालीचरन सोनी पुत्र राधाचरन सोनी उम्र 48 वर्ष नि. ग्रा.करहरा खुर्द थाना चरखारी जनपद महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल गोष्ठी कर चुनाव एवं कानून व्यवस्था सम्बन्धी तैयारियों की समीक्षा की गई, लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना प्रभारियों को चुनावी अभियान में रुचि लेकर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश...

आज दिनांक 28.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद महोबा में आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने दृष्टिगत जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों व चुनाव सेल प्रभारी के साथ गूगलमीट के माध्यम से वर्चुअल गोष्ठी कर चुनाव सम्बन्धी तैयारियों एवं जनपद में कानून/शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध की गई निरोधात्मक कार्यवाही की बिन्दुवार समीक्षा की गयी। मुख्यालय स्तर पर की गई समीक्षा में पाया गया कि अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही का स्तर संतोषजनक नहीं है जिस पर कड़ी आपत्ति प्रकट की गयी तथा सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों को चुनाव के दृष्टिगत अभियान में रुचि लेते हुए अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के लिये स्पष्ट निर्देश दिये गये।

- पुलिस अधीक्षक ने सभी क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिये हैं, जिसके लिये सभी को अपने सूचना तंत्र को विकसित करते हुए क्षेत्र की प्रत्येक छोटी-बड़ी विभिन्न सूचनाओं को संकलित किये जाने के निर्देश देते हुए चुनाव को प्रभावित करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं।
- जनपद में निर्वाचन प्रक्रिया निर्विवाद हो इसके लिये जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्रों के लाइसेंस के मिलान की कार्यवाही कर शस्त्र का सत्यापन कराये जाने व शतप्रतिशत शस्त्रों को थाने में जमा कराये जाने के निर्देश दिए गए।
- आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर लगातार पैनी नजर रखी जाये, किसी भी समाज विरोधी क्रियाकलाप पर उनके विरुद्ध कठोरतम निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए भारी से भारी मुचलके पर पाबन्द किया जाये। लगातार आपराधिक मामलों में सक्रिय बदमाशों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्यवाही किये जाने तथा गिरोह बनाकर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही किये जाने तथा आदतन आपराधियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि व अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहें, क्षेत्र की जनता से संवाद बनाये रखें किसी भी छोटी-बड़ी सूचना पर सतर्कता बरतते हुए तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक:- 28.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना श्रीनगर के विभिन्न संवेदनशील स्थलों में फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया। क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरूक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम तथा क्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को थाना श्रीनगर पुलिस एवं केन्द्रीय पुलिस बल के साथ थाना श्रीनगर क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न संवेदशील मोहल्लो/ग्रामों, वल्लरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों में संयुक्त रूप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध में मा0 निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने

वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 रामशंकर पाण्डेय द्वारा तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान एक नफर वारण्टी अभियुक्त भइयालाल अहिरवार पुत्र मुल्लू अहिरवार उम्र 52 वर्ष निवासी मु0 चर्च के पीछे राठ चुंगी के पास थाना कोतवाली नगर महोबा को सम्बधित वारण्ट सी.पी.न. 150/16 धारा 323/504/506 भादवि सम्बधित न्यायालय सीजेएम महोबा के आधार पर मुहल्ला चर्च के पीछे राठ चुंगी के पास से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरण:-

भइयालाल अहिरवार पुत्र मुल्लू अहिरवार उम्र 52 वर्ष
निवासी मु0 चर्च के पीछे राठ चुंगी के पास थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रामशंकर पाण्डेय चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. हे0कां0 रावेन्द्र सोनकर



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में उ०नि० श्री देवेन्द्र कुमार ओझा द्वारा तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन से एक नफर वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र फूलसिंह उम्र करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम करहराकला थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बधित वारण्ट मु०नं०- 1462/08 सीसीनं०- 1384/2016 अप० संख्या- 1663/2008 धारा 323/325/504 भादवि से सम्बधित माननीय न्यायालय सिविल जज जू०डि०/जे०एम० महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के आधार पर ग्राम करहराकला से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र फूलसिंह उम्र करीब 62 वर्ष
निवासी ग्राम करहराकला थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० देवेन्द्र कुमार ओझा प्रभारी चौकी बजरिया थाना कोतवाली नगर



थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 08 नफर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों के विरुद्ध शान्तिभंग के तहत की निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शान्तिपूर्ण ढंग से निर्विवाद सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध शान्तिभंग के तहत की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 28.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर द्वारा गठित की गई संयुक्त पुलिस टीम ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्र अन्तर्गत भिन्न-भिन्न स्थानों पर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 08 नफर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार कर सम्बन्धित उपजिलामजिस्ट्रेट सदर महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया व गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को भारी मुचलके से पाबन्द कराया गया।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा प्रभारी चौकी पसवारा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. उ0नि0 बुद्धिसागर प्रभारी चौकी मनियादेव थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
3. उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
4. हे0कां0 श्याम यादव 5. कां0 दीपेश कुमार यादव 6. कां0 महिताप सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा।

निरोधात्मक कार्यवाही से सम्बन्धित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों का विवरण:-

1. **HS NO.212ए** हारून पुत्र अज्जू उम्र 50 वर्ष निवासी मुहल्ला कसौराटोरी थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. **HS NO.127ए** मुस्तकीम पुत्र अज्जू उम्र 40 वर्ष निवासी मुहल्ला कसौराटोरी थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
3. **HS NO.201ए** ताहर सिंह पुत्र करन सिंह उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम पसवारा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
4. हरीदास श्रीवास पुत्र कूरा उम्र 55 वर्ष निवासी मुहल्ला हमीरपुर चुंगी थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
5. उमेश यादव पुत्र रामेश्वर प्रसाद उम्र 36 वर्ष निवासी आफिसर्स कालोनी थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
6. **HS NO.14ए** सईद खाँ पुत्र सरदार खाँ उम्र 55 वर्ष निवासी मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
7. **HS NO.194ए** राजेश पुत्र धुवराम साहू उम्र 35 वर्ष निवासी मुहल्ला कस्बाथाई थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
8. प्रिन्स गुप्ता पुत्र श्यामबिहारी गुप्ता उम्र 19 वर्ष निवासी पूंछवाली गली गाँधीनगर थाना कोतवाली नगर जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 28.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

